

07-10-2020

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही उपस्थित। गैरसायल सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल, जाति-कुम्हार, निवासी- रामपुरा उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री परबत सिंह उपस्थित, जिन्होंने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि

.....वगातार


सिरौही



सुरेश कुमार
पुत्र शंकरलाल
कुम्हार



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अह जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज मुकदमों में गैरसायल को गैरसायल को झूठा फंसाया गया है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है एवं मजदूरी व नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने या मारपीट करने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, गैरसायल वर्तमान में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।</p> <p>प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल सुरेश कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना, कालन्दी में राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 124/23.12.2019 एवं पुलिस थाना सिरोही में राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 72/11.5.2018 व 217/14.8.2019 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त तीनों अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 72/11.5.2018 व 217/14.8.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 11.6.2018 व 28.8.2019 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।</p> <p>अतः उद्भूत सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुये गैरसायल सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल, जाति- कुम्हार, निवासी- रामपुरा, पुलिस थाना सिरोही, जिला- सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरों रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही को प्रेषित की जावे।</p> <p>(गितेश श्री मालवीया)</p>	



प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.